

शैक्षिक समाचार
राजस्थान



शैक्षिक समाचार राजस्थान

शैक्षिक समाचार राजस्थान

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

पेंशनर्स (नागरिक) अधिकार पत्र

प्रस्तावना

राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिये पृथक से पेंशन विभाग की स्थापना की गई। पहले यह कार्य महालेखाकार, राजस्थान द्वारा किया जाता था, किन्तु सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुविधा देने के पुनीत उद्देश्य से 01.12.1979 को पेंशन निदेशालय की स्थापना की गई। कार्य विस्तार एवं सुविधा की दृष्टि से वर्ष 1993–94 में जोधपुर, उदयपुर, तथा वर्ष 1994–95 में कोटा, बीकानेर तथा वर्ष 1995–96 में अजमेर में क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये। वर्तमान में पेंशन प्रकरणों का निस्तारण क्षेत्रवार हो रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुर भी शीघ्र कार्य करने लगेगा। विभागाध्यक्षों व अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के कार्यक्षेत्र के तहत आने वाले जिलों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर कार्यालय द्वारा किया जाता है।

शास्त्रीय समाचार राजस्थान

पेंशनर के हितार्थ सामान्य निर्देश

पेंशन विभाग द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य सभी आम नागरिकों से संबंधित न होकर केवल पेंशनरों से ही संबंधित है। अतः पेंशनर्स के हितों को पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध हो, के लिये निम्नांकित सामान्य दिशा निर्देश प्रसारित किये हुये हैं:-

1. पेंशनर को सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष पूर्व उसकी सेवानिवृत्ति की सूचना मिल जावे।
2. सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति मिल जावे।
3. सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व पेंशन प्रकरण तैयार होकर पेंशन विभाग को प्रेषित हो जावे।
4. सेवानिवृत्ति से 2 माह पूर्व अधिकृतियों जारी हो जावे।
5. आवेदन बाद समुचित समय में संशोधन अधिकृतियों जारी की जावे।

पेंशन विभाग का कार्य क्षेत्र

विभाग द्वारा निम्नांकित मामलों में कार्य निष्पादित किया जाता है :

1. राज्य कर्मचारियों की पेंशन अधिकृत करना ।
2. राज्य कर्मचारियों के परिजनों को पारिवारिक पेंशन अधिकृत करना ।
3. संशोधित पेंशन अधिकृत करना ।
4. मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान राशि स्वीकृत करना ।
5. राज्य कैडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों से संबंधित अधिकृतियों जारी करना ।
6. स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं नकद राशि अधिकृत करने संबंधी कार्य
7. पुलिस पदक एवं विशिष्ट और प्रशंसनीय सेवाओं के लिये पेंशन कार्य
8. भूतपूर्व रियासतों के शासकों के हाउस होल्डर्स स्टाफ से संबंधित पेंशन मामले ।
9. भूतपूर्व रियासतों के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण ।
10. राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के पेंशन संबंधी कार्य ।
11. नगरपालिका/परिषदों, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद तथा नगरीय एवं आवास विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन संबंधी कार्य ।
12. भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों के पेंशन संबंधी कार्य ।
13. डपादान के कालातीत मामलों को पुनर्वैध करना ।
14. पेंशन अंशदान वसूली कार्य ।
15. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना ।
16. विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर लम्बे समय से लम्बित पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के प्रयास करना ।
17. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन भुगतान संबंधी समस्याओं का निस्तारण ।

पेंशनर के अधिकार/हित

कार्य / पेंशन परिलाभ	पेंशन स्वीकृति हेतु जरुरी औपचारिकतायें / प्रपत्र	अभियुक्ति
<p>पेंशन :-</p> <p>(अ) अधिवार्षिकी पेंशन :-</p> <p>अधिवार्षिकी पेंशन ऐसे सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत की जावेगी जो राजस्थान सेवा नियमों के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु को प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है ।</p> <p>(वर्तमान में 60 वर्ष)</p>	<p>1. मूल सेवापुस्तिका मय सत्यापन व पेंशन कुलकर्ता ।</p> <p>2. सेवानिवृत्ति आदेश ।</p> <p>3. विभागीय जॉच अबकाया प्रमाण पत्र ।</p> <p>4. अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र ।</p> <p>5. विभागीय अदेयता प्रमाण पत्र ।</p> <p>6. वाहन ऋण/भवन ऋण अदेयता प्रमाण पत्र ।</p> <p>7. वर्णात्मक नामावली मय संयुक्त फोटो ।</p> <p>8. सेवापुस्तिका के अन्त में पेंशन अवधारण हेतु वरिष्ठ लेखाकर्मी का वेतन नियतन के सही होने का प्रमाण पत्र ।</p> <p>9. विशेष वेतन (यदि कोई हो) का सेवापुस्तिका में इन्द्राज एवं विगत 10 माह के औसत की गणना ।</p> <p>10. कर्मचारी की जन्म दिनांक प्रमाणित होनी चाहिये ।</p> <p>11. यदि पेंशनर वर्कचार्ज सेवा में रहा हो व सीपीएफ सदस्य रहा हो तो नियोक्ता के अंशदान की (मय ब्याज) हस्तान्तरण प्रविष्टि बीमा विभाग से प्राप्त कर भिजवानी होगी ।</p>	<p>1. कार्यालय अध्यक्ष द्वारा पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्ति तिथि से 6 माह पूर्व पेंशन विभाग में भिजवाया जाना चाहिये ।</p> <p>2. सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व प्राप्त किये जा रहे वेतन जिसमें विशेष वेतन भी शामिल है, के पचास प्रतिशत तक (जिसे अर्हक सेवा के पूर्ण छः माही खंडों के कुल 56 के साथ अनुपात के आधार पर समायोजित किया जावेगा) पेंशन स्वीकृत की जाती है ।</p> <p>3. पेंशन के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा होनी चाहिये । इसके अभाव में केवल सेवा ग्रेच्युटी ही स्वीकार्य है ।</p> <p>4. सेवा ग्रेच्युटी प्रत्येक पूर्ण छः माहों के लिये 15 दिन की परिलम्बियों की दर पर संगणित की जावेगी ।</p> <p>5. 3 माह के बराबर या अधिक के वर्ष के भिन्नांश को पूर्ण आधे वर्ष के रूप में माना जावेगा ।</p> <p>6. पेंशन के लिये परिलम्बियों से तात्पर्य राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (24) में यथा परिभाषित वेतन से अभिप्रेत है । सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपादान के लिये अनुज्ञेय मंहगाई भत्ते की रकम को भी परिलम्बि का भाग माना जाता है ।</p>

<p>(ब) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति :—</p> <p>कोई भी सरकारी कर्मचारी 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के बाद किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को न्यूनतम तीन माह का नोटिस देकर सेवा से निवृत्त हो सकता है।</p>	 <p>उपर्युक्तानुसार</p>	<p>उपर्युक्त के अतिरिक्त</p> <p>यह कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अर्हकारी सेवा में 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है, किन्तु इससे अर्हकारी सेवावधि 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी व अधिवार्षिकी आयु तक सेवा में बने रहने पर होने वाली कुल योग्य सेवा से अधिक नहीं होगी। (यह प्रावधान दिनांक 1.7.13 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा)।</p>
<p>(स) असमर्थता पेंशन :—</p> <p>सरकारी कर्मचारी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण राजकीय सेवा करने के लिये (चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर) अयोग्य होने पर सेवानिवृत्त किया जाने पर उक्त पेंशन स्वीकार्य है।</p>	 <p>उपर्युक्तानुसार</p>	<p>अधिवार्षिकी पेंशन के लिये दर्शित अभ्युक्तियाँ यथावत।</p>
<p>(द) क्षतिपूर्ति पेंशन :—</p> <p>सरकारी कर्मचारी को उसके स्थायी पद की समाप्ति पर सेवानिवृत्त किया जाने पर उक्त पेंशन देय होती है।</p>	<p>उपर्युक्तानुसार</p>	<p>अधिवार्षिकी पेंशन के लिये दर्शित अभ्युक्तियाँ यथावत।</p>
<p>(य) अनिवार्य सेवानिवृत्ति :—</p> <p>किसी सरकारी कर्मचारी को अकर्मण्यता या संदेहास्पद सत्यनिष्ठा या कार्यालयीय कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षमता या कार्यालयीय कर्तव्यों के उचित निष्पादन</p>	<p>उपर्युक्तानुसार</p>	<p>शास्ति रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों क्षतिपूरक पेंशन के दो तिहाई से कम दर पर नहीं होगी या पूर्ण क्षतिपूरक पेंशन से अधिक नहीं होगी।</p>

<p>में अकुशलता के कारण 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, जो भी पहले हो, पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति किया जाने पर उक्त पेंशन देय है ।</p>		
<p>(र) अनुकंपा भत्ता :—</p> <p>सरकारी कर्मचारी जिसे सेवा से बर्खास्त किया गया है, यदि मामला विशेष विचार किये जाने योग्य है, तो अनुकंपा भत्ता जो उस देय पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों के दो तिहाई से अधिक नहीं होगा जो यदि वह क्षतिपूरक पेंशन पर सेवानिवृत्ति होता हो उसे स्वीकार्य होती ।</p>	<p>उपर्युक्तानुसार</p> 	<p>अनुकंपा भत्ता 3025/- रुपये प्रतिमाह से कम राशि का नहीं होगा, किन्तु 1.7.13 से न्यूनतम अनुकंपा भत्ता 3450 होगा ।</p>
<p>सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी :—</p> <p>सरकारी कर्मचारी जिसने पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली है, सेवानिवृत्ति होने पर, अर्हकारी सेवा की प्रत्येक परिलब्धियों की एक चौथाई के बराबर सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी स्वीकार की जावेगी ।</p>	<ol style="list-style-type: none"> सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के मामले में अधिवार्षिकी पेंशन के सम्मुख दर्शित औपचारिकताओं की पूर्ति । मृत्यु ग्रेच्युटी के मामले में आवश्यक उक्त वर्णित दस्तावेजों के साथ प्रपत्र में अपना क्लेम प्रस्तुत करना । मृत्यु के समय यदि कर्मचारी राजकीय आवास सुविधा का आवंटिती था तो कुछ बकाया नहीं प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है । मृत्यु प्रमाण पत्र । 	<p>सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर निम्नानुसार मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है :—</p> <p>अर्हकारी सेवावधि ग्रेच्युटी की दर 1 वर्ष से कम परिलब्धियों का 2 गुणा 1 वर्ष से 5 वर्ष के परिलब्धियों का 6 गुणा बीच 5 वर्ष से 20 वर्ष के परिलब्धियों का 12 गुणा 20 वर्ष या अधिक प्रत्येक पूर्ण छः माही लिये मासिक परिलब्धि का आधा अधिकतक मासिक परिलब्धि के 33 गुणा तक (अधिकतम सीमा 10.00 लाख रुपये) 2. कर्मचारी द्वारा आत्म हत्या करने पर भी मृत्यु ग्रेच्युटी का अनुज्ञय है । 3. ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसके बारे में कुछ ज्ञात न हो, सेवानिवृत्ति मृत्यु ग्रेच्युटी का</p>

		भुगतान परिवार को एक वर्ष बाद किये जाने का प्रावधान है।
परिवार पेंशन :-	 <p>1. मृत्यु प्रमाण पत्र 2. पुनर्विवाह न करने का प्रमाण पत्र 3. वर्णात्मक नामावली</p>	<p>1. सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु के बाद 7 वर्ष तक बढ़ी हुई दर से परिवार पेंशन प्राप्त होती है, जो सामान्य दर से दुगुनी या अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, के बराबर होती है। बढ़ी हुई दर से परिवार पेंशन 7 वर्ष या पेंशनर यदि जीवित रहता तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जो भी पहले हो, तक भुगतान किया जाता है। उसके बाद सामान्य दर से भुगतान किया जाता है।</p> <p>2. परिवार पेंशन विधवा/विधुर के पुनर्विवाह तक तथा पुत्र की स्थिति में 25 वर्ष की आयु प्राप्ति या विवाह होने या संतान के रु. 6000/- प्रतिमाह कमाना शुरू करने पर, अविवाहित / तलाकशुदा/विधवा पुत्री के विवाह/पुनर्विवाह करने तक या 600/-रु प्रतिमाह की आय होने तक, जो भी पहले हो, तक अनुज्ञय रहती है।</p> <p>3. यदि पुत्र/पुत्री शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षमहू तथा आजीविका उपार्जन के अयोग्य हैं तो ऐसी संतान को आजीवन परिवार पेंशन देय होगी।</p>
अनुग्रह अनुदान :-	<p>ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसकी ढ्यूटी पर रहते हुये</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपने सामान्य मुख्य कार्यालय के बाहर 2. किसी दुर्घटना में 3. कर्तव्य निष्पादन के दौरान जान 	<ol style="list-style-type: none"> 1. अनुग्रह अनुदान विभागाधक्ष द्वारा स्वीकृत एवं भुगतान किया जाता है। 2. चुनाव ढ्यूटी में मरने पर संबंधित जिला कलक्टर द्वारा राशि को स्वीकृत एवं भुगतान किया जाता है। 3. स्वयं सेवी होमगार्ड्स के लिये महानिदेशक, होम गार्ड्स द्वारा राशि को स्वीकृत एवं भुगतान किया जाता है।

<p>बुझकर पहुंचाई गई चोट के कारण</p> <p>4. अपनी पदीय हैसियत के कारण जान बुझकर पहुंचाई गई चोट के कारण</p> <p>5. अपनी सेवा से संबंधित कारणों से हिंसा के द्वारा</p> <p>6. चुनाव ड्युटी व जनगणना ड्युटी के कारण मृत्यु हो जाती है, तो कर्मचारी के परिवार को अनुग्रह अनुदान स्वीकार्य होता है ।</p>		
<p>प्रोविजनल पेंशन :-</p> <p>यदि सरकारी कर्मचारी के प्रकरण में किन्हीं कागजातों, आदेशों के अभाव, विभागीय जॉच, न्यायिक कार्यवाही लंबित होने या अन्य कारणों से अंतिम पेंशन स्वीकृति में समय लगना संभावी हो तो प्रोविजनल पेंशन एवं प्रोविजनल ग्रेच्युटी स्वीकार की जा सकती है ।</p>	<p>कार्यालय अध्यक्ष (विभागीय जॉच न्यायिक निर्णय लम्बित रहने पर नियुक्ति प्राधिकारी) द्वारा निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान को संबोधित कर प्रपत्र 33 में स्वीकार्य जारी की जानी होती है ।</p>	<ol style="list-style-type: none"> स्वीकृति प्राप्त होने पर निदेशक पेंशन विभाग द्वारा अन्यथा कारण न होने पर एक सप्ताह में प्रोविजनल पेंशन एवं प्रोविजनल ग्रेच्युटी आदेश जारी कर दिये जाते हैं । प्रोविजनल पेंशन 100 प्रतिशत व प्रोविजनल ग्रेच्युटी सामान्य रूप में 75 प्रतिशत तथा निर्माण अग्रिम की वसूली के लिये प्रावधान रखने पर 20 प्रतिशत स्वीकार्य होगी । विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के लंबित होने की स्थिति में ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाता है ।
<p>पहचान के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति :-</p> <p>नियम के रूप में पेंशनर को व्यक्तिशः भुगतान तभी करना चाहिए जब पेंशन भुगतान आदेश में मिलान कर उसकी पहचान कर ली गई हो । किसी प्रकार का कोई पेंशनर जो विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त होगा ।</p>	<p>जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले विनिर्दिष्ट व्यक्ति :-</p> <ol style="list-style-type: none"> दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति । भारतीय पंजीयन अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार । राजपत्रित अधिकारी । किसी पुलिसथाने का प्रभारी जो सब इंसपेक्टर की रैंक से निम्न स्तर का अधिकारी न हो । पोस्ट मास्टर, विभागीय पोस्ट मास्टर या डाक धर का निरीक्षक । 	<p>पेंशनर, जो भारत में निवासी नहीं हो, जिसके संबंध में उसका प्राधिकृत एजेन्ट किसी मजिस्ट्रेट नोटेरी बैंकर या भारत के किसी राजनायिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त होगा ।</p>

	<p>6. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या प्रथम श्रेणी का अधिकारी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी ।</p> <p>7. विकास अधिकारी या नायब तहसीलदार ।</p> <p>8. सांसद या विधायक या ग्राम पंचायत का सरपंच ।</p>	
अन्य राज्यों में पेंशन का भुगतान अंतरण निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान किसी ऐसे पेंशनर से जो राजस्थान में पेंशन आहरित कर रहा है एवं जो उसे अब दूसरे राज्य में प्राप्त करने का इच्छुक है, (संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से) आवेदन प्राप्त करने पर भुगतान का अंतरण दूसरे राज्य में उस कोषागार में करने के लिये अनुमति दे सकेगा ।	<p>1. कोषागार अधिकारी अंतरण के आवेदन को अग्रिष्ठ करते समय उसके साथ पेंशन भुगतान आदेश के दोनों अधपन्नों को, उन पर उस दिनांक तक किये गये अंतिम भुगतानों को दर्ज करते हुये, संलग्न करेगा ।</p> <p>2. निदेशक, पेंशन विभाग तब या तो नये भुगतान आदेश को नये कोषागार पर भुगतान करने के लिये अंतरित करेगा तथा महालेखाकार राजस्थान के मार्फत ऐसा करने के लिये संबंधित राज्य के महालेखाकार को लिखेगा ।</p>	
व्यतिक्रम एवं समर्पण :— यदि भारत में भुगतान योग्य पेंशन का एक वर्ष से अधिक समय तक भुगतान आहरित नहीं किया जाता है, तो पेंशन का भुगतान योग्य होना बंद हो जाता है ।	पेंशनर बाद में उपस्थित होता है, तो वितरण अधिकारी उसके भुगतान का नवीनीकरण करेगा किन्तु, तीन वर्ष से अधिक पुराने मामलों में नवीनीकरण निदेशक, पेंशन द्वारा किया जावेगा ।	कोषाधिकारी, पेंशन की बकाया राशि रु. 50,000/- तक का भुगतान कर सकता है । इसके बाद निदेशक पेंशन विभाग, राजस्थान की पूर्वानुमति से ही किया जावेगा ।
पेंशन रूपान्तरण :— मूल पेंशन राशि के अधिकतम एक तिहाई भाग तक पेंशन राशि का रूपान्तरण कराया जाकर एक मुश्त भुगतान प्राप्त किया जा सकता है ।	<p>1. प्रपत्र – 1 में आवेदन करना होता है ।</p> <p>2. सेवानिवृत्ति की दिनांक से एक वर्ष के अंदर निघारित प्रपत्र में आवेदन करने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।</p>	<p>1. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध विभागीय/न्यायिक कार्यवाही लंबित है, को स्वीकृत की गई अस्थाई पेंशन को रूपान्तरित नहीं कराया जा सकेगा ।</p> <p>2. रूपान्तरित पेंशन राशि के भुगतान या अधिकृति जारी होने के 3 माह जो भी पहले हो, 14 वर्ष बाद पेंशन राशि पुनः बहाल हो जाती है । अर्थात् रूपान्तरित भाग को पुनः स्थापित कर दिया जाता है ।</p>

राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स बैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.5(254)निपेति / नियम / 05 / १२२२ - १५८३७ दिनांक: २९/११/१०

परिपत्र

विषय: पेंशनर की मृत्यु होने पर संबंधित बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने के संबंध में।

1. शासन के ध्यान में यह आया है कि पेंशनर की मृत्यु उपरान्त पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने में विलम्ब होता है। ऐसे गामलों में पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने की राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट vi-पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा राजस्थान सरकार के साथील पेंशनरों की पेंशन के संदाय के लिए स्कीम के अनुच्छेद संख्या 15 एं प्रादान है। इस संबंध में निदेशालय द्वारा पूर्व में परिपत्र क्रमांक: १६-१७५ एवं दिनांक २९.०३.२००५ एवं १९-६५ एवं दिनांक ०६.०१.२०१० आदि जैसे किए गये हैं।

2. अतः पुनर्निदेशित किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरण जिनमें पेंशन भुगतान आदेश के साथ वर्णात्मक नामाचली में पति एवं पत्नी का संयुक्त प्रभागित फोटो तथा नाम एवं विवरण के तथ्य सत्यापित हैं और पारिवारिक पेंशन की राशि नामजद है, उन प्रकरणों में पत्नी या पति को, जैसा भी प्रकरण हो, पेंशन संवितरक बैंक अपने रस्तर से पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करेंगे।

3. बैंकों द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पेशन नियम 1996 के परिशिष्ट vi के अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत पारिवारिक पेशन प्रारम्भ करने हेतु दी गई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पेंशनर के पति/पत्नी से निम्न दस्तावेज (सुविधा हेतु प्रारूप संलग्न) प्राप्त किये जायेंगे।

- (1) पारिवारिक पेशनर का जीवन प्रमाण पत्र
- (2) अनियोजन प्रमाण पत्र
- (3) पुनर्विवाह/अविवाह का प्रमाण पत्र
- (4) पारिवारिक पेशन का आवेदन पत्र
- (5) अन्य स्रोतों से पारिवारिक पेशन प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र
- (6) पेंशन भुगतान आदेश का पेंशनर का भाग
- (7) पेंशनर के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति

4. बैंक द्वारा पारिवारिक पेशन प्रारम्भ करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :—

- (i) पीपीओ के दोनों भागों (वेर्थ हाक्स) पर पारिवारिक पेंशनर के हस्ताक्षर या अग्रह के नियान लिए जायेंगे, जिसे शाखा प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

- (ii) पीपीओ के दोनों भागों (बोथ हाईस) पर पेशनर की मृत्यु की तिथि, पारिवारिक पेशन की दर पारिवारिक पेशन प्रारम्भ करने की तिथि, पारिवारिक पेशन की दर का अंकन एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा।

(iii) यदि पेशनर को पेशन का अधिक भुगतान किया गया है, तो उसका समायोजन किया जायेगा।

(iv) पेशनर के विरुद्ध यदि कोई अन्य वसूली हो, तो नियमानुसार वसूली सम्बन्धी प्रविष्टि दोनों भागों पर अंकित की जायेंगी।

(v) पारिवारिक पेशन की स्वीकृति की सूचना निदेशक पेशन विभाग को प्रपत्र-29 में दी जायेगी।

5. उपरोक्त कार्रवाई के पश्चात् बैंक द्वारा पत्रावली मूल पीपीओ, पेशनर के भाग सहित संबंधित कोषाधिकारी को भिजवाई जायेगा। कोषाधिकारी द्वारा पत्रावली में बैंक द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि उपरान्त टी.एस. पजिका एवं डाटा वर्स में आवश्यक प्रविष्टि या संशोधन करते हुए पत्रावली संबंधित बैंक को वापस भिजवाई जायेगी। इसके लिए पारिवारिक पेशनर को कोषालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

6. जिन मामलों में पारिवारिक पेशन की दर का संशोधन अपेक्षित है, उन मामलों में वैकं द्वारा पारिवारिक पेशन प्राप्त करने के पश्चात संशोधन हेतु पत्रावली में य मूल पी.पी.ओ (प्रशासन भाग) काषाधेकारी को भिजवाई जायेगी, जिसके द्वारा पैरा 5 में संगत कायदाही के साथ भी पारिवारिक पेशन की दर का संशोधन कर पत्रावली वापस वैकं को भिजवाई जावेगी। इस प्रक्रिया में भी पारिवारिक पेशनर को कोषालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

7. कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अथवा पेंशनर के पुत्र/पुत्री को पारिवारिक पेंशन अधिकार देने हेतु पारिवारिक पेशन मुगलान आदेश (एफ. पीपीओ) जारी किया जाता है, उन मासलों में उपरोक्त प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

खलम्न : 5 प्रपत्र—पैरा 3 के अनुसार।

निदेशक

क्रमांक: प.5(254) निपेति / नियंत्रण / 05 दिनांक:
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं :—

1. समस्त कोषाधिकारी (राजा)
 2. महाप्रबन्धक / उप्रमहाप्रबन्धक सहायक प्रबन्धक

निर्देशांक

(3)

(1)

जीवन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेशन संदाय आदेश संख्या _____
 के धारक पेशनर के पति/पत्नी श्री/श्रीमती
 (पारिवारिक पेशनर का नाम) को देखा है और वह आज
 इस तारीख को जीवित है।

स्थान :

तारीख :

नाम

प्राधिकृत अधिकारी

पदनाम (मुहर)



(2)

अनियोजन प्रमाण पत्र

(क) मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने अक्टूबर, 20 _____ में समाप्त हुए
 वर्ष के दौरान किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग या
 केन्द्रीय/राज्य सरकार की कम्पनी, निगम, उपक्रम, रवशासी निकाय,
 कानूनी निकाय, स्थानीय निकाय, सहकारी सोसाइटी, संस्था आदि में
 जो केन्द्र/राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या
 नियन्त्रणाधीन हैं या जिसमें सरकार का सारवान वित्तीय हित है या जो
 अपने प्रशासनिक खंड की पूर्ति करने के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त
 कर रहा है या भारतीय रिजर्व बैंक में या पब्लिक सेक्टर बैंक में या जी
 आई ई/एलआईसी इत्यादि में स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से
 नियोजन/पुनः नियोजन/आमेलन के परिणामस्वरूप कोई पारिश्रमिक
 प्राप्त नहीं किया है।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर

पेशनर का नाम

पेशनर संदाय आदेश सं

(4)

(3)


पुनर्विवाह / अविवाह का प्रमाण पत्र

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ/ मैंने पिछले छह मास के दौरान विवाह नहीं किया है।

या

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है और कोषालय/ बैंक को ऐसी घटना होने पर सिपोर्ट करने का दबन देता हूँ/ देती हूँ।

स्थान :
दिनांक :



मैं अपने पूरे ज्ञान और विश्वास से यह प्रमाणित करता हूँ कि पूर्वोक्त घोषणा सही है।

(5)

(4)

उपाध्यक्ष — V
पारिवारिक पेंशन के आवेदन का प्रारूप

स्व. श्री / श्रीमती
कार्यालय विभाग

पदनाम
की पारिवारिक पेंशन का आवेदन।

1. आवेदक का नाम
2. मृत सरकारी कर्मचारी / पेंशनर से संबंध
3. सेवानिवृत्ति का दिनांक, यदि मृतक पेशनर था
4. सरकारी कर्मचारी / पेंशनर की मृत्यु का दिनांक
5. मृतक के उत्तरजीवी रक्त संबंधियों के नाम और आयु

नाम
विधवा / विधुर
पुत्र
अविवाहित पुत्रियाँ

जन्म की तारीख

6. उस कार्यालय / उप कार्यालय / पर्याला सेक्टर बैंक शाखा का नाम, जिससे संदाय चाहा गया है।
7. हस्ताक्षर या बायें हाथ के अंगूठे की छाप (उनके मामले में, जो अपने हस्ताक्षर करने जिसन साक्षर नहीं हैं)
8. स्व. _____ की विधवा / विधुर / अवयस्क सन्तान के संरक्षक की वर्णन तालिका

जन्म दिनांक

ऊँचाई

हाथ या चेहरे पर वैयक्तिक चिन्ह, यदि कोई हो
बायें हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छाप

कनिष्ठिका

अनामिका

मध्यमा

तार्जनी

अंगूठा

9. आवेदक का पूरा पता :

अनुप्रमाणित

साक्षी

(1)

(1)

(2)

(2)

टिप्पण :— पारिवारिक पेंशन के आवेदन के साथ की वर्णनात्मक तालिका (स्तम्भ 8) और हस्ताक्षर या बाये हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छाप दो प्रतियों में दो अलग—अलग पन्नों में और दो राजपत्रित अधिकारियों या नगर, शाय या परगना जिसमें आवेदक निवास करता है, के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित होने चाहिए।

(4)

(5)

अन्य स्त्रोत से पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करने का प्रमाण—पत्र

मैं _____ पति / पत्नि / श्री / श्रीमती _____

धारक पी.पी.ओं संख्या _____ प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि मुझे राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राजकीय उपक्रम या स्वायत्तशासी निकाय या स्थानीय निधि आदि किसी भी अन्य स्त्रोत से अन्य नियमों के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रहीं हैं।

पारिवारिक पेंशनर के हस्ताक्षर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेर विभाग, राजस्थान जरूरी

क्रमांक : प. 5 (254) नियम/नियम/05/ 1301-50 H

दिनांक : 29-06-2012

परिपत्र

विषय : पेंशनर की मृत्यु होने पर संबंधित बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्ति करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय में निदेशालय पेंशन के पूर्व परिपत्र संख्या प.5 (254) नियम/नियम/05/1920-1963-II दिनांक 29.11.2010 के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत पेंशनर की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन प्राप्ति करने के लिए संबंधित बैंक को "पेंशन भुगतान आदेश" का पेंशनर का भाग" प्रस्तुत करना होता है।

इस संबंध में प्रकरण का पुनः परीक्षण कर यह निणय लिया गया है कि उक्त भानले में पारिवारिक पेंशन प्राप्ति करने हेतु पेंशन भुगतान आदेश का पेंशनर का भाग बिना रास्ता किये ही पेंशनर की मृत्यु की सूचना Annexure-V में प्राप्त होने पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान पेंशनर के Spouse को किया जावे, जिसका पूर्ण विवरण पेंशनर के पेंशन के भुगतान आदेश के बैंक के भाग एवं पेंशनर के संयुक्त बैंक खाते में पहले से ही उपलब्ध है।

अतः ऐसे प्रकरणों में पारिवारिक पेंशनर के पेंशन के भुगतान आदेश, पेंशनर का भाग प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावे। पारिवारिक पेंशन प्राप्ति किये जाने हेतु आवेदन पत्र वित्त विभाग के आदेश संख्या प. 1(1) वित्त विभाग /जी एण्ड टी/2007 दिनांक 21.6.2012 (प्रति सलग्न है) के अन्तर्गत संशोधित पारिवारिक पेंशन के आवेदन पत्र के प्रपत्र में किया जावे। उक्त परिपत्र वित्त विभाग की बार कोड संख्या 221101365 दिनांक 22.6.2012 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

सलग्न : प्रपत्र 1 (पीडी बी नं. ५८५)

शास्त्रीक समाचार राजस्थान

भवदीय,

वित्त

निदेशक

1301-50 H

क्रमांक : प. 5 (254) नियम/नियम/05/

दिनांक : 29-06-2012.

प्रतिलिपि : निम्नांकित को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. समस्त कोषाधिकारी _____ (राज.)
2. महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक / सहायक महाप्रबन्धक _____

- को अधीनस्थ शाखाओं को भिजवाने हेतु ।
3. अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेर विभाग, दीनीय कायलिय _____ को इस विभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक 1920-1963-II दिनांक 29.11.2010 की छाया प्रति के साथ प्रेषित है।

निदेशक

(8)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(G & T Division)

ORDER

No.F.1(1)FD/(G&T)/2007

Jaipur, dated : 21.6.2007
Circular

Subject:- Scheme for payment of pension of Rajasthan Government Civil Pensioners by the Public Sector Banks.

The Governor is pleased to order that the existing Annexure-V. Form Application for Family Pension - appended to the Scheme for payment of pension to Rajasthan Government Civil Pensioners by the Public Sector Banks issued vide order No. F 6(11)FD/R&A-I/76 dated 10.06.1977 shall be substituted by the following -

"ANNEXURE V

FORM OF APPLICATION FOR FAMILY PENSION
Application for a family pension for the family of late Shri/Smt
(Designation) in the Office/Department of

1. Name of the applicant
2. Relationship to the deceased Government servant/pensioner
3. Date of death of Government servant/pensioner
4. Names and ages of surviving kindred of the deceased, if spouse is not alive

	Name	Date of birth
Unmarried Sons		
daughters including widowed / divorced		

5. Name of Treasury/Sub-Treasury/PSB branch at which payment is desired
6. Signature of left-hand thumb impression (in the case of those are not literate enough to sign their names)
7. Date of birth of widow/widower/guardian of the minor children of late.....
8. Full address of the applicant:

Date :

Signature of the applicant

By order of the Governor

[Signature]
(Akhil Arora)
Secretary to the Government
Finance (Budget)

राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनरी कल्याण विभाग

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-ए.पी.254/पेंशनरी कल्याण विभाग/ १३५७ - १३८६/। दिनांक ७/८/०९

संयुक्त निदेशक,

क्षेत्रीय कार्यालय, पेशन एवं पेशनरी कल्याण विभाग,

कोटा/अजमेर/जोधपुर/चंद्रपुर/बीकानेर।

विषय:- पी.पी.ओ./एफ.पी.पी.ओ. में पारिवारिक पेशनर की जन्म तिथी अंकित करने के संबंध

प्रसंग:- राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक ए.प.12(3)एफडी/राज्य/2008 दिनांक 30.6.2009

महोदय,

उपरोक्त विषय में संबंधित ज्ञापन (अति पहले भेजी जा चुकी है) के संदर्भ में पारिवारिक पेशनर की जन्म तिथी निर्धारित कर प्रविष्टी करने के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

(अ) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर सातांक दर्ज कर संबंधित शाखा में भिजाया जावेगा।

(ख) संबंधित शाखा मांगपत्र भेजकर पत्रावली प्राप्त करेगी।

(ग) पत्रावली में पारिवारिक पेशनर(पति/पत्नी) की जन्म तिथी/आयु उपलब्ध होने पर ज्ञापन के पैरा 3 अनुसार जन्म तिथी निर्धारित की जावेगी।

(द) पेशन विभाग की पत्रावली में जन्म तिथी पर आयु की सूचना उपलब्ध न होने पर संबंधित कार्यालय जारी रख पेशन प्रकरण प्राप्त हुआ था, तो सूचना भेजने हेतु प्रारूप "ख" में पत्र लिखा जावेगा। सूचना प्राप्त होने पर ज्ञापन के पैरा 4 के अनुसार जन्म तिथी निर्धारित की जावेगी। एक माह में सूचना न आने पर मार जावेगा कि विभाग में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(इ) पेशन विभाग व कर्मचारी के गूल विभाग में जन्म तिथी एवं आयु तकी सूचना उपलब्ध न होने पर आवेदन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर जन्म तिथी निर्धारित की जावेगी।

(च) उपरोक्त (ग) (घ) अंदर्या (ङ) के अनुसार निर्धारित जन्म तिथी की सूचना कोषाभिकारी एवं आदेदक की ग्राहक के में ही जावेगी।

(i) किसी भी प्रलेख में मात्र आयु उपलब्ध होने पर जन्म तिथी निर्धारित की जावेगी—

आयु वर्षों में उपलब्ध होने पर ग्रन्ती देयार होने के वर्ष में से आयु के वर्ष घटाकर संबंधित वर्ष की एक युलाई जन्म तिथी निर्धारित की जावेगी। चदावरण रेखांत्र किरी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय देयार कुलक सन् 1992 में दोपाँ लिखा गया। यानी १५ पत्नी वर्षों आयु ५२ वर्ष अंकित है। रा. 1992-52 =

(ii) आयु यदि वर्ष व महिने दोनों में अकित हो तो ग्रन्ती देयार करणे के महिने में से वर्ष व माह दोनों घटाकर संबंधित माह की १५ दारीख जन्म तिथी निर्धारित की जावेगी। उदाहरणार्थ भई 2006 में हैयार राशन कार्यालय में यदि पत्नी वर्ष ७८ वर्ष ८ माह दोनों हैं तो 2006-05 में से ७८ वर्ष ८ माह घटाने पर सन् 1927 का नवम्बर माह जन्म माह आता है अतः नवम्बर १९२३ की १५ दारीख का जन्म तिथी निर्धारित होगी।

(ज) यह कार्य निम्न चरणों में किया जावेगा—

प्रथम चरण	अगस्त 09 से अगस्तोंबर 2009	जो पारिवारिक पेशनर 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं तथा पारिवारिक पेशन प्राप्त कर रहे हैं।
द्वितीय चरण	अगस्त, 2009 से मार्च, 2010	शेष सभी पारिवारिक पेशनर जो पारिवारिक पेशन प्राप्त कर रहे हैं।
तृतीय चरण-	अप्रैल, 2009 से नियन्त्र	शेष सभी ग्राहक

पेशनर द्वारा आवेदन हेतु आवेदन का ग्राहक (संलग्न) पेशन विभाग की वेबसाइट <http://rajpension.nic.in> पर उपलब्ध है। अवैद्यत राज्य द्वारा प्राप्ति ग्राहकार्यालय प्रारिवारिक पेशनर के संबंध में कार्यवाही की जाती है।

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक पीआर २००९/८० अनुग्रह/शहरीक लेखाभिकारी पीआर २००९/८० कार्यालय हाजा

निदेशक

निदेशक

10

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

No.F.12(3)FD(Rules)/2008

Jaipur, dated : 30 JUN 2008

MEMORANDUM

Sub. :- Revision of pre-01.09.2006 State Pensioners / Family Pensioners etc. - grant of additional quantum of family pension to family pensioners of the age of 80 years and above.

State Government vide Finance Department Memorandum No. F.12(3)FD(Rules)/2008 dated 18.06.2008 have allowed additional quantum of family pension to the family pensioners who have attained/ attain the age of 80 years and above on or after 01.01.2007.

It has been brought to the notice of the Government that in the absence of age / date of birth of family pensioners in the Family Pension Payment Orders, it is not possible to authorise the additional amount of family pension to the family pensioners who have already crossed the age of 80 years and above and who may cross the age of 80 years in future.

As per the provisions contained in the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, each Government servant has furnished the details of family in his / her application for grant of pension. Similarly, in the case of death while in service, the concerned family pensioner has also furnished the details regarding date of birth / age. Accordingly, age / date of birth as recorded in the Pension Application Form of the employee / family pensioner may be treated as valid and be used for the purpose of grant of additional amount of family pension.

In case, the date of birth is not available, but the year, and month of birth is available on record, the 1st July or the 1st of the month, respectively may be treated as date of birth. Similarly, in cases where only approximate age is available on record, date of birth may be reckoned by deducting the number of years representing the age from the date of submission of details of family members and age may be determined.

In cases, where record of the pensioners / family pensioners has been destroyed by the Pension & Pensioners' Welfare Department after obtaining approval at the competent level, the age for the aforesaid purpose may be determined on the basis of following documents:-


- (i) Date of birth of the spouse might have been mentioned in the service record of the employee or it is possible that record of the pensioner / family pensioner is available in the department where from he / she has retired / died while in service. Efforts may be made to obtain the proof of date of birth from the concerned Head of Office.
- (ii) Where the family pensioner is educated, he / she may be asked to furnish the certificate of date of birth from the concerned School / Board, as the case may be.

(2)

- (iii) Documentary evidence viz. Family Pensioner's Medical Diary, PAN Card, Driving Licence, Voter Identity Card issued by the Election Commission, Ration Card or any other legal documents issued before the date of Memorandum i.e. 12.09.2008, may be obtained from the concerned pensioners. If there is any variation in the date of birth / age of the pensioners, younger date of birth may be used as date of birth for the aforesaid purpose. In such cases, the family pensioner will have to submit affidavit in support of his / her correct date of birth.
- (iv) In the absence of any of the documents mentioned above, no determination of age / date of birth may be put up to the concerned **Divisional Magistrate** by the family pensioner for verification and may be admitted on that verification.

The date of birth determined / ascertained, as stated above, shall be conveyed by the Director, Pension & Pensioners' Welfare Department to the concerned Treasury Officer (Pension), who shall enter the date of birth of pensioners in the both halves of Family Pension Payment Orders and an additional amount of family pension as per rules.

In case of existing pensioners, the date of birth of his / her spouse available in the pension file of the pensioner, the Director, Pension & Welfare Department shall communicate the date of birth of the spouse to the Treasury Officer (Pension) for entries in both halves of the Pension Payment Order of pensioner.



(Deepak Upadhyay)

Secretary to the Government

Copy forwarded to -

1. All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
2. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
3. P.S. to Chief Secretary
4. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies)
5. All Heads of the Departments
6. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies
7. Sub-Treasury Officers
8. Director, Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
9. Deputy Director (Statistics), Chief Minister's Office
10. All Treasury Officers
11. All Sections of the Secretariat
12. Administrative Reforms (Gr. 7) with 7 copies
13. Vidhi Rachana Sangathan, for Hindi translation.
14. Analyst-cum-programmer, Finance Department

Copy also to the:

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Legislative Committees.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.



(Aditya Pareek)

Deputy Secretary to the

(Pension - 08 / 2009)

(12)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
RULES DIVISION

No. F. 12(3)FD(Rules)/2008

Jaipur, Dated : 29.03.2011

MEMORANDUM

Sub : Revision of pre-01.09.2006 State Pensioners / Family Pensioners etc. - grant of additional family pension to family pensioners of the age of 80 years and above.

*From 21/2/11
2/3/2011*
 State Government vide Finance Department Memorandum No. F.12(3)FD(Rules)/2008 dated 12.09.2008 have allowed additional quantum of family pension to the family pensioners who have attained/attain the age of 80 years and above on or after 01.01.2007.

The procedure for determination of date of birth of the spouse of the pensioner / family pensioner was issued vide FD Memorandum No. F.12(3)FD(Rules)/2008 dated 30.06.2009.

In some cases, pensioners are requesting for change in the age/date of birth of the spouse of the pensioner/family pensioner being mentioned in the original pension application form on the basis of a documentary proof of date of birth.

The matter has been considered in light of these cases and in partial modification of FD Memorandum No. F.12(3)FD(Rules)/2008 dated 30.06.2009 it has been decided that the date of birth of spouse of the pensioner/family pensioner may be revised / determined on the basis of date of birth mentioned in passport, certificate of secondary school or equivalent issued by Board, PAN card or Driving Licence. In other cases where it is not possible to submit the above certificate/ document, the date of birth of the spouse of the pensioner/family pensioner shall continue to be determined as per the provisions contained in the FD Memorandum dated 30.06.2009.

Any proof of date of birth issued on or after 01.09.2008 shall not be considered for this purpose.

2/3/2011

Ganjam Malhotra
Secretary, Finance (Budget)

30 SEP 2011

1619

पर्याय - अमित

(12/3)

(13)

Copy forwarded to -

1. Principal Secretary to H.E. Governor,
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister,
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secy to the Government.
5. D.S. to Chief Secretary,
6. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies)
7. All Heads of the Departments
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sale
9. Director, Pension & Pensions' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur
10. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office
11. All Treasury Officers
12. All Sections of the प्रशासनिक विभाग
13. Administrative Reforms (Gr. 7) with 7 COPIES
14. Vidyut Rachana Sangathan, for Hindi transcription
15. System Analyst, Finance Department (Computer Cell)

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies
2. Subordinate Legislative Committees,
3. Registrar General, Rajasthan High Court, Jaipur, Jaipur
4. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Jaipur
5. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur

Aditya Pareek

Deputy Secretary to the Government

(Pension - 11/2011)

राजस्थान सरकार

मिशनालय, प्रेसोन एवं प्रैवीज़ विभाग, राजस्थान, राजा, 624

क्रम. अ. 5 (254) मिशनी | राजा | 2011 | पात्रा. 1262724 दिनांक : 11-10-

मुझे समीक्षण की छाया गति लिपिमिति को उत्तमता दिलायी गई है।

(1) श्री. अ. 5 (254) | राजस्थान मिशनी का दीर्घ समय से उत्तमता दिलाया गया है।

श्री. अ. 5 (254) | राजस्थान मिशनी का दीर्घ समय से उत्तमता दिलाया गया है।

(2) सहायता निधन (सम्बन्ध) राजस्थान, राजा

राजस्थान निधनक

कृपया इसे देखना आवश्यक निर्देश
राजस्थान, राजा

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेर विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.5(254)निपेति/नियम/पार्ट- /एकल पत्रावली (21-60 H) दिनांक १०.०१.२०१२

परिपत्र

विषय:- पी.पी.ओ./एफ.पी.पी.ओ. में पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथी अंकित करने के संबंध में।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.12(3) एफडी/रूल्स/2008 दि. 30.06.2009 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ.5(254)निपेति/नियम/08/1359-76 एवं दि. 07.08.09 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित कर पेंशन विभाग के संबंधित अधिकारियों को, पेंशनर के पति/पत्नि की जन्मतिथि निर्धारित करने एवं संबंधित कोषाधिकारी को पेंशन भुगतान आदेश में प्रविष्टी करने हेतु अधिकृत किया गया था। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.12(3) एफडी/रूल्स /2008 दि. 29.09.2011 हारा पूर्व में जारी निर्देशों में संशोधन कर पेंशनर द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा समकक्ष संस्था के प्रमाणपत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/ पारापोर्ट/ पेनकार्ड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने पर उसमें अंकित जन्मतिथि के आधार पर पेंशनर के पति/पत्नि की जन्मतिथि संशोधित/निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है।

पेंशनर के पति/पत्नि की जन्मतिथि निर्धारित/संशोधित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने की दृष्टि से उपरोक्त साक्षों के आधार पर संबंधित कोषाधिकारी जिसके माध्यम से पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर, पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, को पेंशनर के पति/पत्नि की जन्मतिथी निर्धारित/संशोधित कर पीपीओ की दोनों प्रतियों में अंकित करने हेतु अधिकृत किया जाता है। जन्मतिथि निर्धारण/संशोधन हेतु पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर अपना आवेदन पत्र उपरोक्त चार साक्षों में से किसी एक साथ (जो दिनांक 12.09.2008 से पूर्व जारी हुआ हो) की प्रमाणित प्रति एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के पीपीओ हॉफ के साथ संबंधित बैंक शाखा, जहाँ से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त की जा रही थी/है, पर प्रस्तुत करेगा। संबंधित बैंक शाखा द्वारा मूल आवेदन पेंशनर की पत्रावली के साथ संबंधित कोषाधिकारी को भेजा जावेगा। कोषाधिकारी द्वारा उपरोक्त साक्षों में से प्रस्तुत साथ की जांच कर पेंशनर की पत्नि/पति की नियमानुसार जन्मतिथि निर्धारित/संशोधित कर पेंशन भुगतान आदेश की दोनों पर्तों में अंकित की जावेगी। कोषाधिकारी द्वारा निर्धारित/संशोधित

5

जन्मतिथि की संबंधित अभिलेख में प्रविष्टी की जावेगी तथा पेंशन विभाग के संबंधित कार्यालय जहां से अंतिम अधिकृति जारी हुई है, को साक्ष्य की प्रमाणित प्रति के साथ अभिलेख हेतु सूचित किया जावेगा। इस कार्रवाई के पश्चात पेंशन पत्रावली संबंधित बैंक को वापस लौटा दी जायेगी। संबंधित बैंक द्वारा पेंशन भुगतान आदेश की पेंशनर की प्रति आदेशक को वापस लौटायी जायेगी।

उपरोक्त चार साक्ष्यों के अलावा अन्य साक्ष्य के आधार पर जन्म तिथि निर्धारित करने के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.06.2009 के प्रावधान एवं इस विभाग के परिपत्र कमांक एफ.5(254)निपेवि/नियम/08/1359-76 एवं दिनांक 07.08.09 हारा निर्धारित प्रक्रिया यथावत रहेगी।

यह परिपत्र वित्त विभाग की अंतर विमाणीय सहमति क्रमांक वि.शा.स. 131101067
दिनांक 16.12.2011 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

३१८

क्रमांक:- एफ.5(254)निये पि / नियम / पार्ट- / एकल पत्रावली । २।- ६० । दिनांक । १०-०१-२००८

परिलिपि-

राज्य सरकार के आदेश संख्या, एफ.12(3) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 30.06.2009,
राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ.12(3) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 29.09.2011 एवं
निदेशालय के पत्र क्रमांक प.5(254) निषेवि/नियम/08/1359-76 एच दिनांक 07.08.2009
की प्रति के साथ निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राज, जयपुर
 2. उप शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग
 3. विशेषाधिकारी, वित्त (राजस्व) विभाग, राज, जयपुर
 4. सहायक उप महा प्रबंधक को शाखा स्तर पर निर्देशित करने हेतु
 5. जिला कोषाधिकारी, (समस्त) राज0
 6. अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स कल्याण-विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर / कोटा / जोधपुर / उदयपुर एवं बीकानेर।
 7. सहायक निदेशक, पीआर..... (समरत) मुख्यालय राज, जयपुर।

मिट्टेश्वर

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

परिपत्र

क्रमांक :- प.5 (294) /नियम/नियम/2017/ ०५-८५/८ दिनांक : ०२/०१/२०१८

विषय:- दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त/मृत राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन बाबत।


संदर्भ:- वित्त (नियम) विभाग, जयपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ. 12 (6)/एफ.डी./रॉल्स/ 2017 दिनांक 30.10.2017, दिनांक 05.12.2017 एवं समसंख्यक मेमोरेन्डम दिनांक 09.12.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्रांक 1511-80-एच दिनांक 08.11.2017 एवं 1991-2065-एच दिनांक 07.12.2017 की निरन्तरता में वित्त (नियम) विभाग ने अपनी मेमोरेन्डम क्रमांक एफ. 12 (6)/एफ.डी./रॉल्स/ 2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा रा.सि.से. (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन किये हैं, जिसके प्रमुख ग्रावधान निम्नानुसार हैं :—

- वित्त (नियम) विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 में राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन में सौंतवे वेतन आयोग के अनुसार संशोधन का लाभ दिनांक 01.10.2017 से दिया गया था, जिसे संशोधित कर मेमोरेन्डम दिनांक 09.12.2017 द्वारा पेंशन संशोधन का लाभ 01.01.2016 से दिया गया है।
- दिनांक 01.01.2016 से 30.09.2017 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का संशोधन सम्बन्धित विभाग से वेतन निर्धारण के पश्चात प्राप्त होने पर पेंशन विभाग के रत्तर से जारी पेंशन परिलाभों की संशोधित अधिकृति के आधार पर किया जायेगा। वैकं अपने रत्तर से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि पेंशनर को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान छठे वेतन आयोग के अनुसार किया जा रहा है अथवा पेंशनर को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर 31.12.2015 को देय मंहगाई राहत 119 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जा रहा है।
- दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि का पेंशन एरियर देय नहीं किया गया है।
- दिनांक 01.01.2017 से 30.09.2017 तक के एरियर का भुगतान 3 किश्तों में 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में अगले वर्ष क्रमशः दिनांक 01.04.2018, 01.07.2018 एवं 01.10.2018 को किया जायेगा लेकिन किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के मामले में पेंशन एरियर की पूरी राशि का भुगतान नकद में किया जायेगा।
- न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन रूपये 8850/- प्रति माह की गई है एवं दिनांक 01.01.2017 से इसे देय किया गया है तथा 01.01.2017 से 30.09.2017 तक के एरियर का भुगतान तीन किश्तों में बिन्दु संख्या 4 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना है।

अतः आप से अनुरोध है कि इस विभाग के पत्रांक 1511-80-एच दिनांक 08.11.2017 एवं 1991-2065-एच दिनांक 07.12.2017 के साथ-साथ वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेन्डम दिनांक 09.12.2017 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर समुचित कार्यवाही सम्पादित करें।


संलग्न :- वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दर्शक
मेमोरेन्डम दिनांक 09.12.2017

भवदीय,

(परमेश्वरी चौधरी)
निदेशक

निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :—

1. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), एस.बी.आई. तिलक मार्ग, जयपुर।
2. महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, 13, बड़ौदा भवन, क्षेत्रीय कार्यालय, पंचवी मंजिल, एयरपोर्ट प्लाजा, टॉक रोड, दुर्गापूरा, जयपुर।
3. सहायक उप महाप्रबन्धक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आनन्द भवन, संसारचन्द्र रोड, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक, यू.को.बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, आकेंड इन्टरनेशनल, अजमेर रोड, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, किसान भवन, लाल कोठी, सब्जी मण्डी, जयपुर।
6. सहायक महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, एलआईसी बिल्डिंग, जीवन निधि भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर।
7. सर्किल मैनेजर (फील्ड महाप्रबन्धक), पंजाब नेशनल बैंक 2, नेहरू पैलेस, टॉक रोड, जयपुर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक (उप महाप्रबन्धक), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन, द्वितीय तल, संसारचन्द्र रोड, जयपुर।
9. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, बी-४ सेक्टर-२, जवाहर नगर, जयपुर (व्हाइट हाउस के पास)
10. मुख्य प्रबन्धक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र— ६ वां तल, फॉर्च्यून हाइट्स, सी-९४, मुख्य सुभाष मार्ग, अहिंसा सर्किल, सी-स्कोम जयपुर।
11. उपमहाप्रबन्धक (बैंकिंग एण्ड ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस—।) एसबीआई, नेहरू पैलेस टॉक रोड जयपुर।
12. सहायक महाप्रबन्धक, (CPPC), SBI, एसएमएस हाईवे, चौडा रास्ता जयपुर।
13. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त कोषाधिकारी, (सार्वजनिक)
15. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राज. जयपुर को उनके ज्ञापन एफ (12) एफ.
डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 05.12.2017, के कम में
16. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/उप कोषाधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करायें।
17. अतिरिक्त निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षे. का.(राज.)
- ✓18. उप निदेशक/एसीपी अनुभाग, कार्यालय हाजा, को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु !
19. संयुक्त /सहा./उपनिदेशक, समस्त अनुभाग.....कार्यालय हाजा।
20. निजी सचिव/निजी सहायक कार्यालय हाजा।
21. विशेषाधिकारी, कार्यालय हाजा।

संलग्न :— वित्त (नियम) विभाग का मेमोरांडम इवं
अधिसूचना दिनांक 09.12.2017


निदेशक

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

MEMORANDUM

No. F. 12(6) FD/Rules/2017

Jaipur, dated: 09.12.2017

Subject:- Revision of Pension of pre-01.01.2016 State Pensioners/ Family Pensioners.

The Governor is pleased to order that the following amendments shall be made in FD Memorandum No. F.12 (6) FD/ Rules/ 2017 dated 30th October, 2017 and as amended by FD Memorandum even number dated 05.12.2017 :-


- (i) The existing figures "01.10.2017" shall be substituted by figures "01.01.2016"
- (ii) The existing figures "30.09.2017" shall be substituted by figures "31.12.2015"
- (iii) The following new para 15 and 16 shall be inserted:-

"15. Non-accrual of Arrears.- Notwithstanding anything contained in these rules, no arrear of Pension and Dearness Relief thereon, shall accrue to a pensioner/family pensioner, between 01.01.2016 to 31.12.2016 (both days inclusive), for the period upto 31.12.2016.

"16. Payment of Arrear.- The arrear to the pensioner/family pensioner for the period from 01.01.2017 to 30.09.2017 shall be payable in three instalments in the ratio of 30, 30 and 40. The first, second and third instalment shall be payable on or after 01.04.2018, 01.07.2018 and 01.10.2018 respectively."

Provided that in case of death of pensioner/ family pensioner, as the case may be, the entire amount of arrear shall be paid in cash during the current financial year 2017-18.

By order of the Governor,


(Manju Rajpal)
Secretary to the Government
Finance (Budget)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

NOTIFICATION

No. F. 12(6)FD(Rules)/2017

Jaipur, dated : 09.12.2017

Subject: Amendments in the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, namely:

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Pension) (Third Amendment) Rules, 2017.
2. These rules shall be deemed to have come into force with effect from 01.01.2016 excepting where otherwise specifically provided.
3. In the said rules –
 - (i) The amendments made vide FD Notification No. F.12(6) FD/Rules/2017 dated 30th October, 2017 with effect from 01.10.2017 shall be deemed to have come into force with effect from 01.01.2016 excepting where otherwise specifically provided.
 - (ii) In clause (a) of sub-rule (2) of Rule 54, the existing words and figures "(the highest pay in the Government is Rs. 77,000/- since 01.01.2006)" shall be substituted by the words and figures "(the highest pay in the Government is Rs.2,18,600/- since 01.01.2016)".
 - (iii) The existing sub-rule (1) of Rule 55 shall be effective from 01.01.2017 instead of 01.10.2017.
 - (iv) the existing clause (i) of Rule 62 shall be substituted by the following, namely:-
"(i) Family pension shall be admissible @ 30% of emoluments subject to a minimum of Rs.8850/- per month and maximum of 30% of the highest pay in the Government (the highest pay in the Government is Rs. 2,18,600/- since 01.01.2016)".
4. **Non-accrual of arrears:** The State Government has revised the pay scales of Government servants with effect from 01.01.2016 with the conditions that no arrears would accrue for the period from 01.01.2016 to 31.12.2016.



Accordingly, on the same lines in respect of Government servants retired / died while in service during the period from 01.01.2016 to 31.12.2016 no arrear of pension shall accrue upto 31.12.2016. Pension / Family Pension calculated on pre-revised pay shall only be payable upto 31.12.2016 and the pension / family pension on revised notional pay and as per the above mentioned amendments shall be payable with effect from 01.01.2017. The Commutation and Gratuity to these Government servants shall not be admissible on the revised notional pay and the amount of Commutation / Gratuity already paid / payable on the pre-revised pay shall be treated as final.

5. **Payment of Arrear.-** The arrear to the pensioner/family pensioner for the period from 01.01.2017 to 30.09.2017 shall be payable in three instalments in the ratio of 30, 30 and 40. The first, second and third instalment shall be payable on or after 01.04.2018, 01.07.2018 and 01.10.2018 respectively.

Provided that in case of death of pensioner/ family pensioner, as the case may be, the entire amount of arrear shall be paid in cash during the current financial year 2017-18.

By order of the Governor,

(Manju Rajpal)

Secretary to the Government
Finance (Budget)

Copy forwarded to :-

1. Secretary to Hon'ble Governor.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
5. Sr. D.S. to Chief Secretary
6. Accountant General Rajasthan, Jaipur.
7. All Heads of the Departments.
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan.
9. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers Office.
10. All Treasury Officers.
11. All Sections of the Secretariat.
12. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
13. Vidhi Rachana Sangathan, for Hindi translation.
14. Additional Director, Finance Department(Computer Cell)
15. Guard File

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, Lokayukta Sachivahya, Rajasthan, Jaipur.

(Mahendra Singh Bhukar)

Joint Secretary to the Government

(Pension - 13 / 2017)